

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बरशी का तालाब, लखनऊ परिसर में कोसिया सेमिया के सुखे गिरे एक पेड़ जैसे है जहां है के आधार पर नीलामी इस संस्थान पर दिनांक 18.11.2020 को 03:00 pm बजे आयोजित होगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बरशी का तालाब, लखनऊ के नाम देय होगा, को जमा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी कि शर्तें संस्थान कि वेबसाइट www.sirdup.in पर उपलब्ध है।

महानिदेशक


डा० शुभाकरन सिंह
सहायक निदेशक


for 
महानिदेशक
(बी० बी० सी० उपाध्याय)
अपर निदेशक

नीलामी कि शर्तें

1. घन विभाग द्वारा प्राप्त अनुमति के क्रम में संस्थान परिसर में यथास्थिति एक वृक्ष जो निम्नवत है :-

क्रमांक	प्रजाति	दशा	वृक्षों की संख्या
01	सेमिया कंसिया	सूखा, गिरा, पड़ा	01
		योग	01

2. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व रु. 1000.00(एक हजार रुपये मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बखशी का तालाब, लखनऊ के नाम देय होगा, को जमा कर भाग ले सकते हैं।
3. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात उक्त घनराशि उसी में समायोजित कर ली जाएगी।
4. उल्लिखित पेड़ के पातन डुलाई आदि की पूरी जिम्मेदारी संबंधित बोलीदाता की होगी।
5. 50 प्रतिशत घनराशि नीलामी के दिन तथा शेष घनराशि पेड़ पातन से पूर्व जमा करना होगा।
6. पूरी घनराशि जमा करने के उपरांत ही पेड़ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
7. नीलामी के दिन ही पेड़ ले जाने की अनिवार्यता होगी।
8. वृक्ष के पातन आदि से यदि किसी अन्य पेड़ की क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
9. उक्त वृक्ष को कार्यालय अवधि में कभी भी देखा जा सकता है।
10. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बखशी का तालाब, लखनऊ को बिना कारण बताये सबसे ऊँची बोली को रद्द करने का अधिकार होगा। इस विषय में महानिदेशक का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
11. किसी भी प्रकार के विवाद पर वाद का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ होगा।


डा० शुकर सिंह
सहायक निदेशक


for. महानिदेशक (उपस्थान)
अपर निदेशक